[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 05/2025-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 2025

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

I. सारणी में,-

(1) क्रम संख्यांक 3कख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3कग.	0304 99 00	निर्यात हेतु सुरीमी एनालॉग उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी)	5%	-	108";

(2) क्रम संख्यांक 104घख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"104घग.	2301 20	जलीय आहार के निर्माण में उपयोग के लिए फिश हाइड्रोलिज़ेट	5%	-	9";

(3) क्रम संख्यांक 166 के सामने, स्तंभ (3) में, -

(क) खंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) के सामने, "उपर्युक्त (क) में" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर, "सूची 3 में विनिर्दिष्ट" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(4) क्रम संख्यांक 166क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"166ख.	28, 29, 30 या 38	सूची 3 में विनिर्दिष्ट औषधियां, औषध, डायग्नोस्टिक किट या उपकरण	5%	-	-";

(5) क्रम संख्यांक 167 के सामने स्तंभ (3) में, -

(क) खंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) के सामने, "ऊपर (क) में की" शब्द और कोष्ठक के स्थान पर, "सूची 4 में विनिर्दिष्ट" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(6) क्रम संख्यांक 167क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"167ख.	28, 29, 30 या 38	सूची 4 में विनिर्दिष्ट प्राणरक्षक डायग्नोस्टिक/औषध और उनके साल्ट्स और एस्टर तथा डायग्नोस्टिक किट	शून्य	-	-";

(7) क्रम संख्यांक 168 के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(8) क्रम संख्यांक 177क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(9) क्रम संख्यांक 250क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(10) क्रम संख्यांक 257क के सामने,

(क) स्तंभ (3) में, प्रविष्टि (झ) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(ञ) इलेक्ट्रिक लैंप/टेबल लैंप/दीवार लैंप/छत लैंप/दरवाजा लैंप/खिड़की लैंप/गार्डन लैंप/वायर रोल/क्रिसमस अलंकरण पर फिटिंग के लिए इलेक्ट्रिक पार्ट्स

(ट) निर्यात उत्पाद की बेहतर फिनिशिंग के लिए अपेक्षित रसायन/लैकर

(ठ) लकड़ी पॉलिश सामग्री

(ड) समुद्री शंख, मदर आफ पर्ल(एमओपी), पशु सींग और हड्डी सामग्री

(ढ) क्लाक मूवमेंट

(ण)चिपकने वाला पदार्थ/गोंद

(त) प्राकृतिक आवश्यक तेल/सुगंधित रसायन

(थ) कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और 120 वोल्ट के बल्ब

(द) रेजिन";

(ख) स्तंभ (6) में, "108"अंकों के स्थान पर निम्नलिखित"123"अंक रखे जाएंगे;

(11) क्र.सं. 284 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"284क.	4104 11 00, 4104 19 00, 4105 10 00, 4106 21 00, 4106 31 00 या 4106 91 00	वेट ब्लू चर्म (खाल और चर्म)	शून्य	-	-";

(12) क्रम संख्यांक 341 के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(13) क्रम संख्यांक 341क के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(14) क्रम संख्यांक के लिए 345ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"345ख.	7102, 7104	रफ लैब ग्रोन डायमंड के विनिर्माण में प्रयोग के लिए सीड्स	शून्य	-	-";

(15) क्रम संख्यांक 364ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"364ग.	7113	(i) गोल्ड फाइंडिंग्स; (ii) सिल्वर फाइंडिंग्स; (iii) प्लैटिनम फाइंडिंग्स। *स्पष्टीकरण* - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, सोना, चांदी या प्लैटिनम फिंडिंग्स का मतलब है कि हुक, क्लैस्प, क्लैम्प, पिन, कैच, स्क्रू बैक जैसे एक छोटे घटक जो आभूषण के पूरे को या एक टुकड़े के एक हिस्से को जगह में पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।	5%	-	-";

(16) क्रम संख्यांक 381 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"381क.	7802	सभी माल	शून्य	-	-
382ख.	7902	सभी माल	शून्य	-	- ";

(17) क्रम संख्यांक 390 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“390ख.	8105 20 30	सभी माल	शून्य	-	- ”;

(18) क्रम संख्यांक 405 के सामने, स्तंभ (3) में, -

(i) खंड (1) और (3) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(2) वायु प्रचालित विद्युत जनरेटर घटकों के विनिर्माण या रखरखाव के लिए पुर्जे और उप-पुर्जे, अर्थात्:-

(क) विशेष बियरिंग्स

(ख) गियर बॉक्स.

(ग) यॉ घटक

(घ) वायु टरबाइन नियंत्रक”;

(iii) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

“(5) वायु प्रचालित बिजली जनरेटर ब्लेड के लिए बाल्सा लकड़ी, कार्बन फाइबर”;

(iv) प्रथम और द्वितीय परंतुक का लोप किया जाएगा;

(19) क्रम संख्यांक 406 के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(20) क्रम संख्यांक 460 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

“460.	8446, 8448	वस्त्र उद्योग में प्रयोग हेतु निम्नलिखित वस्तुएं (पुरानी और प्रयुक्त से भिन्न), अर्थात्: -	शून्य		
		(i) शटललेस रैपिअर लूम [650 मीटर प्रति मिनट से अधिक];		-	-
		(ii) शटललेस रैपिअर लूम [650 मीटर प्रति मिनट से कम];	शून्य	-	-
		(iii) शटललेस वॉटरजेट लूम [800 मीटर प्रति मिनट से अधिक];	शून्य	-	-
		(iv) शटललेस एयरजेट लूम [1000 मीटर प्रति मिनट से अधिक];	शून्य	-	-
		(v) शटललेस एयरजेट लूम [1000 मीटर प्रति मिनट से नीचे];	शून्य	-	-
		(vi) शटललेस लूम के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे और घटक;	शून्य	-	9”;

(21) क्रम संख्यांक 460क के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(22) क्रम संख्यांक 460ख के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(23) क्रम संख्यांक 460ग के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(24) क्रम संख्यांक 460घ के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(25) क्रम संख्यांक 460ङ के सामने, स्तंभ (3) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(26) क्रम संख्यांक 489कक के सामने, स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह है कि इस क्रमांक में निहित कोई भी प्रावधान 31 मार्च, 2025 के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे।“;

(27) क्रम संख्यांक 515क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

“515कक	8524	इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मॉड्यूल (8524) के विनिर्माण में प्रयोग के लिए ओपन सेल (टच के साथ या उसके बिना)	5%	-	9”;

(28) क्रम संख्यांक 515ख के सामने, स्तंभ (4) में, “2.5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(29) क्रम संख्यांक 515ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“515ग	8528 59 00	इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) से भिन्न अन्य सभी माल	10 %	-	9
515घ	8529	इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मॉड्यूल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए निम्नलिखित माल (क) टच ग्लास शीट (ख) टच सेंसर पीसीबी	5%	-	9”;

(30) क्रम संख्यांक 518 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:

“टैरिफ मद 8549 13 00, 8549 14 00 या 8549 19 00 के अधीन आने वाले लिथियम-आयन बैटरी के वेस्ट और स्क्रैप को छोड़कर, बैटरी स्क्रैप और बैटरी अपशिष्ट”;

(31) क्रम संख्यांक 518 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“518क	8549 13 00, 8549 14 00, 8549 19 00	लिथियम-आयन बैटरी का वेस्ट और स्क्रैप	शून्य	-	- ”;

(32) क्रम संख्यांक 524 के सामने, स्तंभ (4) में, “25%” और “40%” प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “20%” और “20%” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(33) क्रम संख्यांक 525 के सामने, स्तंभ (4) में, “25%” और “40%” प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “20%” और “20%” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(34) क्रम संख्यांक 526 के सामने, स्तंभ (4) में, “100%” प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः “70%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(35) क्रम संख्यांक 526क के सामने, स्तंभ (4) में, “100%” प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः “70%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(36) क्रम संख्यांक 531 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“531.	8711	(क) मोटरसाइकिल (जिसमें मोपेड शामिल है) और सहायक मोटर से सुसज्जित, (लेकिन विद्युत चालित मोटरसाइकिल और साइकिल शामिल नहीं हैं), चाहे साइड कार के साथ हो या बिना, और साइड कार, नई, जो आयात से पहले कहीं भी पंजीकृत नहीं की गई हों और जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी से अधिक न हो -			-”;
		(1) एक पूरी तरह से नॉक्ड डाउन किट के रूप में, जिसमें एक संपूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक घटक, पुर्जे या उप-असेंबली शामिल हों, जिसमें -			
		(क) इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन तंत्र पहले से असेंबल की गई स्थिति में न हो;	10%	-	
		(ख) इंजन, गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-असेंबल रूप में हो, लेकिन बॉडी असेंबली पर माउंट न हो;	20%	-	
		(2) उपरोक्त (क)(1) के अलावा किसी अन्य रूप में;	40%	-	

		(ख) मोटरसाइकिल (जिसमें मोपेड शामिल है) और सहायक मोटर से सुसज्जित साइकिल, (लेकिन विद्युत चालित मोटरसाइकिल और साइकिल शामिल नहीं हैं), चाहे साइड कार के साथ हो या बिना, और साइड कार, नई, जो आयात से पहले कहीं भी पंजीकृत नहीं की गई हों और जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी या उससे अधिक हो -			
		(1) एक पूरी तरह से नॉक्ड डाउन किट के रूप में, जिसमें एक संपूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक घटक, पुर्जे या उप-असेंबली शामिल हों, जिसमें -			
		(a) इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन तंत्र पहले से असेंबल की गई स्थिति में न हो;	10%	-	
		(b) इंजन, गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-असेंबल रूप में हो, लेकिन बॉडी असेंबली पर माउंट न हो;	20%	-	
		(2) उपरोक्त (ख)(1) के अलावा किसी अन्य रूप में।	30%	-	

(37) क्रम संख्यांक 539 के सामने, स्तंभ (3) के, मद (ख) के पश्चात निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(ग) उपग्रह के लिए भू-संस्थापनाएं, जिसके अन्तर्गत उनके पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियाँ सम्मिलित हैं";

(38) क्रम संख्यांक 539क के सामने स्तंभ (4), में प्रविष्टि "5" के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(39) क्रम संख्यांक 555क के सामने, स्तंभ (3), के परंतुक में, "31 मार्च, 2025" शब्द और अंकों के स्थान पर "31 मार्च, 2035" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(40) क्रम संख्यांक 559 के सामने, स्तंभ (3), के परंतुक में, "31 मार्च, 2025" शब्द और अंकों के स्थान पर "31 मार्च, 2035" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(41) क्रम संख्यांक 591, के सामने, स्तंभ (4), में "25%" प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाएगा;

II. (क) सारणी के बाद दिया गया पहला परन्तुक लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि क्रम संख्यांक 17, 80क, 90, 104,133, 139, 150, 155, 164, 165, 172, 183, 184, 188, 191, 204, 253, 257, 257क, 257ख, 257ग, 258, 259, 260, 261, 265, 269, 271, 276, 279, 280, 290, 292, 293क, 296क, 326, 329, 333, 334, 345क, 345ख, 364क, 378, 379, 380, 381, 392, 404, 405, 406, 415, 415क, 416, 417, 418, 422, 423, 426, 435, 442, 446, 451, 462, 463, 464, 464क, 467, 471, 472, 476, 477, 480, 489ख, 504, 509, 510, 511, 512, 512क, 515क, 516, 517, 519, 523क, 527, 534, 535, 535क, 536, 537, 538, 539, 539क, 540, 542, 543, 544, 546, 548, 551, 553, 555, 567, 569, 570, 575, 578क, 580, 581, 583, 591 और 593 के सामने प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी :"

III. दूसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि क्रम संख्यांक 81क, 104ख, 104ग, 168, 341, 341क, 460, 460क, 460ख, 460ग, 460घ, 460ङ और 515ख के सामने प्रविष्टियों में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2027 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि क्रम संख्यांक 166, 166क, 167, 167क, 532क और 607ख के सामने प्रविष्टियों में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।";

IV. उपाबंध में,

(i) शर्त संख्यांक 122 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

शर्त सं.	शर्त
"123.	यदि आयातित माल का प्रयोग करके विनिर्मित मदों को आयातकर्ता द्वारा उक्त आयातित माल के आयात की तारीख से बारह महीने के भीतर निर्यात किया जाता है: परन्तु यह कि बारह महीने की उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए आयुक्त की अधिकारिता द्वारा आगे और बढ़ाया जा सकता है";

(ii) सूची 3 में, -

(क) मद संख्यांक 67, 101, 106 और उससे संबंधित प्रविष्टियां लोप की जाएंगी;

(ख) मद संख्यांक 125 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी,अर्थात्:-

"(126) फ्लुटिकासोन फ्यूरोएट + यूमेक्लिडिनियम + विलानटेरोल एफएफ/यूएमईसी/VI

(127) ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन

(128) ओक्रेलिज़ुमैब

(129) पर्टुज़ुमैब

(130) पर्टुज़ुमैब + ट्रैस्टुज़ुमैब

(131) फैरीसीमैब।"

(iii) सूची 4 में, मद संख्यांक 115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(116) ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक

(117) एस्सिमिनीब

(118) मेपोलिज़ुमैब

(119) पेगीलेटेड लईपोसोमल इरिनोटेकन

(120) दारतुमुमैब

(121) दारतुमुमैब सबक्रूटेनियम

(122) टेक्लिस्टमैब

(123) अमीवन्तमैब

(124) एलेक्टिनिब

(125) रिसडिप्लम

(126) ओबिनुतुज़ुमैब

(127) पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन

(128) एंट्रेक्टिनिब

(129) एटेज़ोलिज़ुमाब

(130) स्पेसोलिमैब

(131) वेलाग्लुसेरेज़ अल्फ़ा

(132) एगलसीडेस अल्फ़ा

(133) रुरीओक्टोकोग अल्फा पेगोल

(134) इडुरसल्फेटेज़

(135) एल्ग्लुकोसिडेज़ अल्फ़ा

(136) लारोनिडेज़

(137) ओलिपिडेज़ अल्फ़ा

(138) टेपोटिनिब

(139) एवेलुमैब

(140) एमिसिज़ुमैब

(141) बेलुमोसुडिल

(142) मिग्लस्टैट

(143) वेलमनसे अल्फ़ा

(144) एलिरोक्यूमैब

(145) इवोलोकुमैब

(146) सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट

(147) सीआई-इन्हिबिटर इंजेक्शन

(148) इन्क्लाईसिरन

(149) एगलसिडेज़ बीटा

(150) इमिग्लूकेरेज़

(151) इप्टाकॉग अल्फा एक्टिवेटिड रेकोम्बिनंत कोएगुलेशन फैक्टर VII ए।" ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. स. 334/03/2025-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)

उप-सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. संख्यांक 646(अ), तारीख 13 नवंबर, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, अधिसूचना सं. 47/2024-सीमा शुल्क, तारीख 13 नवंबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।